

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए।
17.02.25	<p>पत्रावली पेश। प्राचीन वकील अय. अप्रार्थी सं. 2,3 की ओर से अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित, जवाब नहीं दिये जाने पर जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्राचीन द्वारा निवेदन किया कि अप्रार्थी 1 फौज ले चुके हैं; जिनके बाकिम पूर्व से रेकड पर है। उस हेतु मूल वाद में 022 R 04 CPC प्राचीन पत्र पेश वाद न्यायालय द्वारा प्र. सं. 01 को मूल वाद से विलोपित कर दिया गया है। प्राचीन वकील के निवेदन पर अप्रार्थी सं. 01 को मूल वाद की आदेशिका दि. 18.06.24 अनुसूच्य उमर प्राचीन पत्र में भी कार्यवाही अमल में लाई जावे।</p> <p>प्राचीन अधिवक्ता द्वारा एक पक्षीय बहस कर निवेदन किया कि माँजा गंगासरा पटवार मण्डल अचलपुर के आराजी ख. 205, 206, 237, 236 में आदेशिका दिनांक 08.05.2019 को जारी अंतरिम अस्थाई निवेद्या को मूलवाड के</p>	


(पुनः)
सहायक कलक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)



निल्वारण तक अप्राथमिकता को पाबंद
कराने। हमने प्राथमिकता आधितवता की
दृष्टिकोण पर गहन विचार।
पत्रावली में संबंधित दस्तावेजों का
अद्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार
प्रकरण में प्रथम दृष्टया मांगला,
शुद्धि का संतुलन व अप्रथम
ज्ञान का विद्वान प्राथमिकता के
पक्ष में प्रथम दृष्टया विद्व होता है।
अतः अस्वास्थ्य निषेधाज्ञा जारी करना
अव्यक्त मानता हूँ।

— आदेश: —

अतः मौजा गंगासरा पटवार मण्डल
अन्धलपुर तहसील सांचौर के जन.
205, 206, 236, 237 आराजी की अप्राथमिकता
मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति
बनाये रखेंगे। इस आशय की
अस्वास्थ्य निषेधाज्ञा जारी की जाती है।
इस आशय से अप्राथमिकता मूल
कार के निल्वारण तक पाबंद रहेंगे।
पत्रावली फाइल नुमांदा लेकर नंबर
से कम हो।


सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड जालपारा, सांचौर)